

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार

संकल्प

विषय :-किफायती आवास एवं मलिन बस्ती (स्लम) पुर्नवास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में संशोधन के सम्बन्ध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वाधान में वर्ष 2017 में किफायती आवास एवं मलिन बस्ती (स्लम) पुर्नवास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 राज्य में लागू किया गया। इस नीति के तहत राज्य में EWS/LIG वर्ग के लिए आवासीय ईकाईओं के निर्माण हेतु निजी निवेशकों आकर्षित करते हुए लागत को घटाकर कम कीमतों में राज्य के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि, किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 के मॉडल 4(क) के सामान्य पैरामीटर कंडिका-2 में अंकित है कि, "3 लाख और इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में कुल परियोजना क्षेत्र के 75% से अन्यून, 1 लाख से अधिक और 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में कुल परियोजना क्षेत्र के 60% से अन्यून और 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में कुल परियोजना क्षेत्र के 50% से अन्यून किफायती आवास क्षेत्र (ए0एच0ए0) नहीं होगा।"

3. ज्ञातव्य हो कि पी0पी0पी0 मोड पर पूर्व से स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन मॉडल 4(क), के अनुसार करने हेतु निदेशित है, परन्तु किफायती आवास हेतु परियोजना क्षेत्र 75%, 60%, 50% के कारण किसी भी निवेशकों द्वारा अभिरुचि नहीं दिखायी जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त नीति के तहत यदि मॉडल-1 के अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया जाता है तो योजना के फलीभूत होने की सम्भावना प्रबल हो जायेगी।

4. किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 के मॉडल-1 के सामान्य पैरामीटर कंडिका-2 (i) में प्रावधानित है कि, "बिहार राज्य आवास बोर्ड/श0स्था0नि0/विकास प्राधिकार अपनी स्कीमों में न्यूनतम 50% भूखण्ड/मकान/फ्लैट का निर्माण EWS/LIG कोटि के लिए करेंगे। (EWS घटक कुल EWS/LIG ईकाईयों का न्यूनतम 50% होगा।)"

5. अतः किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 के मॉडल 4(क) के सामान्य पैरामीटर कंडिका-2,—

"3 लाख और इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में कुल परियोजना क्षेत्र के 75% से अन्यून, 1 लाख से अधिक और 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में कुल परियोजना क्षेत्र के 60% से अन्यून और 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर में कुल परियोजना क्षेत्र के 50% से अन्यून किफायती आवास क्षेत्र (ए0एच0ए0) नहीं होगा।"

को मॉडल-1 के सामान्य पैरामीटर कंडिका-2 (i),

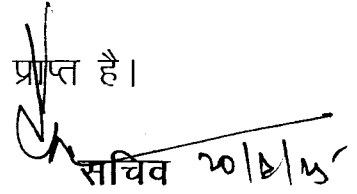
"बिहार राज्य आवास बोर्ड/श0स्था0नि0/विकास प्राधिकार अपनी स्कीमों में न्यूनतम 50% भूखण्ड/मकान/फ्लैट का निर्माण EWS/LIG कोटि के लिए करेंगे। (EWS घटक कुल EWS /LIG ईकाईयों का न्यूनतम 50% होगा।)"

से प्रतिस्थापित किया जाता है।

6. उपर्युक्त कंडिका 5 में अंकित प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

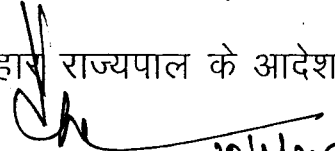
7. उपर्युक्त कंडिका 5 में अंकित प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

8. अतः उक्त संकल्प पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।


सचिव 20/3/25

नगर विकास एवं आवास विभाग

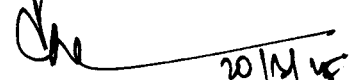
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/3/25
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक— 3419

पटना, दिनांक—20/3/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/3/25
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक— 3419

पटना, दिनांक—20/3/25

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

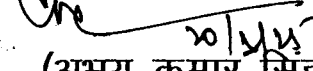

20/3/25
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक— 3419

पटना, दिनांक—20/3/25

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


20/3/25
(अभय कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक—

3419

पटना, दिनांक—20/3/25

प्रतिलिपि: सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।


(अभय कुमार सिंह)

सचिव

ज्ञापांक—

3419

पटना, दिनांक—20/3/25

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अभियंत्रण कोषांग/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अभय कुमार सिंह)

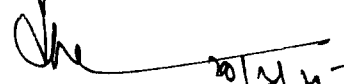
सचिव

ज्ञापांक—

3419

पटना, दिनांक—20/3/25

प्रतिलिपि: आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संबद्ध अलग फोल्डर पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।


(अभय कुमार सिंह)

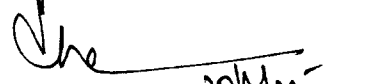
सचिव

ज्ञापांक—

3419

पटना, दिनांक—20/3/25

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अभय कुमार सिंह)

सचिव